आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या : 836 / 2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

कोगटा फाईनेंशियल (इण्डिया) लिमिटेड, रजिस्टर्ड कार्यालय कोगटा हाउस, आजाद नगर, विजय नगर, जिला अजमेर, राजस्थान एवं एस–1, गोपालबाडी, अजमेर पुलिया के पास, मेट्रो पिल्लर नम्बर 143 के सामने, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री खान बहादुर खान पुत्र श्री अब्दुल सलीम खान
   निवासी :– 1 क 18, हाउसिंग बोर्ड शास्त्री नगर, जयपुर।
   एवं सैनी हॉस्पिटल के पास, कंवा मोड, रींगस रोड, चौमू, जिला जयपुर।
   एवं मैसर्स एस. एन. टायर्स, 102 पठानों का मोहल्ला, वार्ड संख्या 25, जयपुर।
   एवं ऑफिस संख्या 304 व 305, सैकण्ड फ्लोर, ओसियन टॉवर, प्लाट संख्या 1152, निर्वाण मार्ग, झोटवाडा रोड, जयपुर।
   एवं ऑफिस संख्या 310 व 311 सैकण्ड फ्लोर, ओसियन टॉवर, प्लाट संख्या 1152, निर्वाण मार्ग, झोटवाडा रोड, जयपुर।
   एवं ऑफिस संख्या 312 व 313 सैकण्ड फ्लोर, ओसियन टॉवर, प्लाट संख्या 1152, निर्वाण मार्ग, झोटवाडा रोड, जयपुर।
   एवं दुकान संख्या 22, 22ए, 22बी, 23, 24 स्कीम कृष्णा विहार, बाईपास, चौमू, जयपुर।
2. श्री अब्दुल सलीम खान पुत्र श्री नासिर खान
   निवासी :– 1 क 18, हाउसिंग बोर्ड, शास्त्री नगर, जयपुर।
3. श्रीमती शाहिना खानम पत्नी श्री खान बहादुर खान,
   निवासी :– 1 क 18, हाउसिंग बोर्ड, शास्त्री नगर, जयपुर।
   एवं 112, कोटन हाऊस, वार्ड संख्या 25, पठानों का मोहल्ला, चौमू, जयपुर।
4. श्री युसुफ खान पुत्र श्री अल्लादीन खान
   निवासी 140 कुम्हारो का मोहल्ला, वार्ड संख्या 28, चौमू, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002.

उपस्थित – श्री लोकेश चन्द्र शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश

दिनांक 21.12.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 03.10.2018 को पुर्नभुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी **श्री खान बहादुर खान के स्वामित्व की सम्पत्ति कृष्णा विहार, बाईपास, कस्बा चौमू, तहसील चौमू, जिला जयपुर स्थित दुकान संख्या 22, 22ए, 22बी, 23, 24 एवं आवासीय प्लॉट स्कीम कृष्णा विहार, बाईपास, चौमू, जयपुर कुल**

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

क्षेत्रफल 290.37 वर्गगज एवं मकान नम्बर 1152, सैकण्ड फ्लोर, ओशियन टॉवर, निर्वाण नगर, झोटवाडा रोड, जिला जयपुर स्थित ऑफिस संख्या 304, 305, 310, 311, 312, 313 क्षेत्रफल 1026.00 वर्गफीट को बन्धक रख कर कुल राशि 40,00,000/-रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 27.07.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजो का भलीभाति अवलोकन किया गया।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 40,00,000/-रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंन्धक के रूप मे प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 40,01,337/-रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 27.07.2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्रार्थी वित्तीय संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 14 के प्रार्थना पत्र के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **श्री खान बहादुर खान के स्वामित्व की सम्पति कृष्णा विहार, बाईपास, कस्बा चौमू, तहसील चौमू, जिला जयपुर स्थित दुकान संख्या 22, 22ए, 22बी, 23, 24 एवं आवासीय प्लॉट स्कीम कृष्णा विहार, बाईपास, चौमूं, जयपुर कुल क्षेत्रफल 290.37 वर्गगज एवं मकान नम्बर 1152, सैकण्ड फ्लोर, ओशियन टॉवर, निर्वाण नगर, झोटवाडा रोड, जिला जयपुर स्थित ऑफिस संख्या 304, 305, 310, 311, 312, 313 क्षेत्रफल 1026.00 वर्गफीट** का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 21.12.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर